2019/00239

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये तहसीलदार
आबूरोड

श्री नवाब खॉ पुत्र श्रीयुसुफ खॉ
जाति मुसलमान निवासी सांतपुर
तहसील आबूरोड जिला सिरोही

किस्म मुकदमा– **प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत ~~अन्तर्गत~~ नियम 14(4) भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम** 1970

मुकदमा नं. 1 वर्ष 2019

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
25.10.2019	प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र ~~अन्तर्गत~~ अन्तर्गत नियम 14(4) **भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम** 1970 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया। हमने परिवाद का अवलोकन किया तो पाया गया कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि मौजा सांतपुर के खसरा नम्बर 322 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी मिल चुकी है । किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिये गये प्रावधान उस पर लागू हो जाते है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नही होने से दर्ज योग्य नही है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय सरे इजलास सुनाया गया । निर्णय की प्रति तहसीलदार, आबूरोड को भिजवाई जावे । **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Surender Kumar Solanki
Date: 2019.11.26 12:49:11 IST
Reason: SelfAttested